

कार्यालय

पुलिस

अधीक्षक

बांदा

❖ थाना पैलानी पुलिस द्वारा अवैध तमंचा के साथ एक शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध शस्त्रों का संग्रहण, निर्माण व बिक्री करने वाले अभियुक्तों पर की जा रही कार्यवाही के क्रम में दिनांक 15/16.06.2024 की रात्रि को थाना पैलानी पुलिस द्वारा गश्त एवं चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना पैलानी क्षेत्र के ग्राम निवाईच से एक अभियुक्त को अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचे व जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है।

बरामदगी-

- 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर
- 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अमित द्विवेदी उर्फ नंगू पुत्र हनुमान द्विवेदी निवासी निवाईच थाना पैलानी जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग -

- मु0अ0सं0 130/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पैलानी जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री राजेश कुमार मिश्र चौकी प्रभारी खण्टिहाकलां
2. हे0कां0 रामचन्द्र यादव
3. कां0 महेन्द्र कुमार